



# राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248013

ई-मेल : ceo-shauk@uk.gov.in



पत्रांक- रा0स्वा0प्रा0 / 2022-23 / 292

दिनांक 04 जून, 2022

## निलम्बन एवं कारण बताओ नोटिस

श्री आशीष कुमार अरोड़ा,  
ग्लोबल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल,  
गौराया मिल के सामने, बाजपुर रोड़,  
काशीपुर, उधमसिंहनगर-244713  
उत्तराखण्ड।

E-mail Id: info.globalhospitalkashipur@gmail.com

1. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनायें (AB-PMJAY, AAUY तथा SGHS) के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय ग्लोबल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, गौराया मिल के सामने, बाजपुर रोड़, काशीपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत क्लेम्स के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टतया सिद्ध होने पर निम्न आरोप लगाया जाता है।

### आरोप

हॉस्पिटल द्वारा प्रस्तुत किये गये क्लेम्स के परीक्षण किये जाने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा निर्गत गार्डलाईन्स के उल्लंघन की निम्न अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं :-

- i. हॉस्पिटल द्वारा रोगी की Pre-post on-bed photo को क्लेम्स हेतु दाखिल नहीं किया गया है;
- ii. हॉस्पिटल द्वारा क्लेम्स हेतु दाखिल OT नोट्स/डिस्चार्ज समरी में Treating Doctor का नाम एवं उसके हस्ताक्षर नहीं हैं;
- iii. हॉस्पिटल द्वारा क्लेम्स हेतु रोगी की मात्र इमरजेंसी वार्ड की फोटो दाखिल की गयी है तथा ICU/GW, जिनके लिये Preauthorisation/enhancements लिया गया, उनके लिये रोगी की कोई फोटो नहीं दाखिल की गयी है;
- iv. हॉस्पिटल द्वारा क्लेम्स हेतु रोगी की मात्र General Ward की फोटो दाखिल की गयी है, जबकि रोगी के लिये ICU enhancement/claim लिया गया है तथा ICU की कोई फोटो दाखिल नहीं की गयी है;


- v. हॉस्पिटल द्वारा ICU हेतु Preauthorisation/enhancement/claim लिया गया किंतु रोगी का उपचार General/Private Ward में किया गया तथा क्लेम हेतु दस्तावेज भी General Ward के दाखिल किये गये; तथा
- vi. हॉस्पिटल द्वारा ICU हेतु दाखिल की गयी रोगी की फोटो में IV line दृष्टनीय नहीं है/ Vital chart उपलब्ध नहीं है (अथवा भर्ती के प्रत्येक दिन हेतु उपलब्ध नहीं है)/रोगी को ICU से Direct Discharge किया गया (अथवा अत्यन्त अल्प अवधि के लिये General Ward में दिखाकर) Discharge किया गया।

हॉस्पिटल द्वारा दाखिल किये गये क्लेम्स में की गयी उक्त अनियमितताओं के 253 Cases की सूची सलंगनक में दी गयी है। इन Cases में हॉस्पिटल द्वारा उक्त एक (अथवा अधिक) अनियमिततायें की गयी हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की गाईडलाइन्स तथा NHA द्वारा निर्गत Claim Adjudication Manual में क्लेम हेतु निर्धारित किये गये अनिवार्य नियम एवं शर्तों का उक्तानुसार हॉस्पिटल द्वारा उल्लंघन किया गया है। हॉस्पिटल द्वारा की गयी उक्त अनियमितताओं के फलस्वरूप न केवल अनावश्यक एवं अधिक क्लेम की धनराशि लेने का प्रयास किया गया है, वरन् मरीजों के इलाज की गुणवत्ता के साथ गंभीर compromise किया गया है। हॉस्पिटल का यह कृत्य अनैतिक तो है ही, वरन् यह कपटपूर्ण/ आपराधिक कृत्य भी प्रतीत होता है।

2. हॉस्पिटल पर लगाये गये उक्त आरोप मरीजों के स्वास्थ्य/जीवन के लिए एक गम्भीर खतरा उत्पन्न कर सकता है, अतः सम्यक विचार एवं परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की इम्पैनलमेंट और डी-इम्पैनलमेंट गाईडलाइन्स के अन्तर्गत हॉस्पिटल की सूचीबद्धता (Empanelment) तत्काल प्रभाव से निलम्बित (Suspend) की जाती है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं/मरीजों को गैर सुरक्षित उपचार/गलत भुगतान की संभावना से बचा जा सके। इस विषय पर नियमानुसार अंतिम निर्णय होने तक हॉस्पिटल की Login को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सिस्टम पर तत्काल ब्लॉक कराने की कार्रवाही भी की जाये किन्तु जो मरीज वर्तमान में हॉस्पिटल में इलाज प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए Login खुला रहेगा ताकि समुचित इलाज प्राप्त कर मरीज डिस्चार्ज हो सके।

3. हॉस्पिटल को उक्त आरोप के सम्बन्ध में इम्पैनलमेंट और डी-इम्पैनलमेंट गार्डलाइन्स के अन्तर्गत यह "कारण बताओ नोटिस" भी दिया जाता है कि हॉस्पिटल के साथ किये गये अनुबंध एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की गार्डलाइन्स के प्राविधानों के अनुसार क्यों न हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्त करते हुये उसका डि-इम्पैनलमेंट कर दिया जाये। हॉस्पिटल की इम्पैनलमेंट और डी-इम्पैनलमेंट गार्डलाइन्स के अनुसार हॉस्पिटल को इस "कारण बताओ नोटिस" का उत्तर देने के लिए 5 कार्य दिवसों का समय दिया जाता है। यदि हॉस्पिटल द्वारा 5 कार्य दिवसों में नोटिस का उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि हॉस्पिटल द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा हॉस्पिटल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। यद्यपि उक्त आरोपों के सम्बन्ध में स्वयं हॉस्पिटल के पास सभी अभिलेख उपलब्ध हैं, तथापि हॉस्पिटल को यह अवसर भी दिया जाता है कि यदि कोई अभिलेख हॉस्पिटल के स्वयं के पास उपलब्ध नहीं है तथा केवल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास उपलब्ध हैं तो वह उक्त निर्धारित अवधि में किसी भी कार्य दिवस पर आकर अभिलेखों का निरीक्षण भी कर सकते हैं।
4. यह निलम्बन एवं कारण बताओ नोटिस हॉस्पिटल को ई-मेल तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

  
(सजीव कुमार सिंह)  
निदेशक -प्रशासन  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिला अधिकारी, जनपद उधमसिंह नगर।
3. समस्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उधमसिंह नगर।
5. राज्य समन्वयक, क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
6. नोडल अधिकारी, आई0ई0सी0 को ग्लोबल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, गौराया मिल के सामने, बाजपुर रोड़, काशीपुर, उधमसिंहनगर की सूचीबद्धता का अनुबन्ध निलम्बित होने के सम्बन्ध में जन-साधारण को अवगत कराने हेतु मीडिया में प्रकाशनार्थ।

(संजीव कुमार सिंह)  
निदेशक -प्रशासन  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण